नियमित वाद संख्या 100/2020

आर.ए.एस.

वाद प्रस्तुति दिनांक : 14.07

नन्छी देवी पत्नी प्रभात जाति जाट, निवासी ग्राम राजावास तहसील

ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

नन्छी देवी बनामबनाम सरकार

न्यायालय SRC

पत्रावली संख्या 100/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। पूर्व में प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। वादी पक्ष अधिवक्ता ने बहस नहीं की समय चाहा। एक अंतिम अवसर दिया जाता है बहस नहीं करने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
22/12/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप। वादी की आपत्ति कुर्सीनामा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत आपत्तियाँ उचित प्रतीत नहीं होती है अतः आपत्तियां खारिज की जाकर वाद कुर्सीनामा रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 100/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक : 14.07.2011

नन्छी देवी पत्नी प्रभात जाति जाट, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
..... वादिया

बनाम

1. मंगला पुत्र लादू (मृतक)
   1/1. नन्छी देवी पत्नी स्व0 श्री मंगला निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/2. प्रेम देवी पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी गोपीराम निवासी दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर।
   1/3. काली पुत्र स्व0 श्री मंगला पत्नी फूदचंद निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
   1/4. गुड्डी देवी पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी बंशी निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
   1/5. लाली पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी कालू निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/6. संती पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. शैतान पुत्र महादेव दत्तक पुत्र मांगू
3. महादेव पुत्र लादू (मृतक)
   3/1. आनी देवी पत्नी महादेव
   3/2. रामस्वरूप पुत्र महादेव
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार आमेर, जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति :– (1) श्री एस.एस.सुण्डा – वादिया की ओर से
(2) श्री सुरज्ञान शेरावत – प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22.12.2025

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने वाद पत्र अंकित यह किया गया है कि ग्राम राजावास, पटवार हल्का खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान में कृषि भूमि खसरा नंबर 277 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 279 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 288 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 289 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 295 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.

59 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादिया का 50/159 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 3/159 हिस्सा है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने हिस्से पर काबिज है, एवं काश्त करते आ रहे हैं, तथा वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार भूमि अंकित है, जो वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी आरजीयात का पारस्परिक सहमति से मौके पर कब्जे अनुसार मौखिक विभाजन कर रखा है, आराजीयात उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। दिनांक 02.07.2011 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दीगर अजनबी व्यक्तियों को विवादित भूमि पर लेकर आये और मनचाही जगह भूमि बताकर विक्रय करने का सौदा करने लगे जब वादी ने इसका विरोध किया एवं विधिक रूप से भूमि का विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने वादिया को धमकी दी कि वे बिना विधिक विभाजन करवाये मनचाही जगह भूमि पर कब्जा कर लेंगे एवं बिना विभाजन के ही भूमि का बेचान कर देंगे एवं वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर देंगे। इसलिये वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वादोत्तर पेश कर कथन किया कि ग्राम राजावास में उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान् की भूमि होना स्वीकार है व रकबा भी स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीबद्ध हक त्याग पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के हक में अपने हिस्से का हक त्याग किया जा चुका है। जहां तक वादिनी के हिस्से का प्रश्न है, वादिनी को जो रजिस्ट्री कराई गई थी, वह एक विशिष्ठ भाग की कराई गई थी जिसमें भूमि की सीमाएं अंकित है एवं वादिनी अपनी खरीदशुदा भूमि पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज है। वादिनी ने लिखा है कि सभी हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है। इसलिए भूमि का संयुक्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। भूमि बंटी हुई है एवं सभी हिस्सेदारान् अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादिनी द्वार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होना कहा गया है। ऐसी सूरत में बंटी हुई भूमि का विभाजन कतई वांछित नहीं है और ना ही आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 की कोई भूमि नहीं है और ना ही उसका कब्जा काश्त है। वादिनी को हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने का ना तो कभी प्रयास किया है और न इस संदर्भ में कोई धमकी आदि दी गई है। वाद की विवादित संपत्ति पर वादिनी एवं अन्य पक्षकारान् अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का वाद की संपत्ति पर ना तो कोई हक अधिकार है और ना ही स्वत्व है। फिर भी यदि वादिनी वाद की संपत्ति का बंटवारा करवाना चाहती है तो इसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कोई ऐतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2 ने कई अवसर देने के उपरांत भी जवाब–दावा पेश नहीं करने व पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। दिनांक 08.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 कई अवसर देने के उपरांत भी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1, 3/2 की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 08.01.2025 को की जा चुकी है। वादी ने वादपत्र पर बहस की तथा जाहिर किया की वाद बंटवारे से संबंधित है अतः वाद को प्राथमिक डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2011 को निरस्त किया गया था तथा प्रतिवादीगण की तामिल सुनिश्चित करते हुये समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेशित किया गया था तद्उपरान्त उभयपक्ष की तामील हेतू नोटिस जारी किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री सुरज्ञान शेरावत अधिवक्ता उपस्थित हुये परन्तु कई पेशीयो से अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 3/1, 3/2 अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। चूकि वाद बंटवारे से संबंधित है अतः वाद वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके ग्राम राजावास, तहसील रामपुरा डाबडी के खसरा नंबर 277 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 278 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 279 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 286 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 287 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 288 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 289 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 295 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर का राज. टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर उभयपक्ष को नोटिस देकर विभाजन कुर्रेजात तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर शीघ्र इस न्यायालय में प्रेषित करने हेतु आदेश दिये गये। प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4216 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादिया की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। आपत्तियां खारिज की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट की आधार पर वाद डिक्री किया जाता है :–

1. नन्छी देवी पत्नी प्रभात हि. संपूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 291/1 रकबा 0.5000 है. भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:22 IST
Reason: SelfAttested

2. महादेव पुत्र लादू हि. 56/109, शैतान पुत्र महादेव पुत्र मांगू हि. 53/109 समस्त जाति जाट, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 277 रकबा 0.4000 है., 278 रकबा 0.0300 है., 279 रकबा 0.1300 है., 286 रकबा 0.0800 है., 287 रकबा 0.2000 है., 288 रकबा 0.0100 है., 289 रकबा 0.0500 है., 291/2 रकबा 0.1900 है. कुल किता 8 कुल रकबा 1.0900 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 100/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक 14.07.2011

नन्छी देवी पत्नी प्रभात जाति जाट, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
..... वादिया

बनाम

1. मंगला पुत्र लादू (मृतक)
   1/1. नन्छी देवी पत्नी स्व0 श्री मंगला निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/2. प्रेम देवी पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी गोपीराम निवासी दुर्जनियावास, तहसील व जिला जयपुर।
   1/3. काली पुत्र स्व0 श्री मंगला पत्नी फूदचंद निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
   1/4. गुड्डी देवी पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी बंशी निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
   1/5. लाली पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी कालू निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/6. संती पुत्री स्व0 श्री मंगला पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. शैतान पुत्र महादेव दत्तक पुत्र मांगू
3. महादेव पुत्र लादू (मृतक)
   3/1. आनी देवी पत्नी महादेव
   3/2. रामस्वरूप पुत्र महादेव
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार आमेर, जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. नन्छी देवी पत्नी प्रभात हि. संपूर्ण जमि जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 291/1 रकबा 0.5000 है. भूमि रहेगी।
2. महादेव पुत्र लादू हि. 56/109, शैतान पुत्र महादेव मांगू हि. 53/109 समस्त जाति जाट, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 277 रकबा 0.4000 है., 278 रकबा 0.0300 है., 279 रकबा 0.1300 है., 286 रकबा 0.0800 है., 287 रकबा 0.2000 है., 288 रकबा 0.0100 है., 289 रकबा 0.0500 है., 291/2 रकबा 0.1900 है. कुल किता 8 कुल रकबा 1.0900 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.12.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:22 IST
Reason: SelfAttested